मूल्य रू 1000/-

क्रमांक ....

एम.पी.स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल

विपणन जन-शक्ति एजेंसी (सर्विस प्रोवाईडर)

हेतु निविदा-प्रपत्र

वर्ष 2019

''एम.पी.स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड,
दुग्ध भवन, दुग्ध मार्ग, हबीबगंज, भोपाल - 462024
दूरभाष - 0755. 2580401,2580402,2580403
फैक्स नम्बर -0755. 2583149
E- mail : ho.mpcdf@nic.in
Website : www.mpcdf.gov.in

फैक्स नम्बर -0755. 2583149

Tender Detailes-Creation

(For Two Bid Tender-E)

Tender level Details			
Tender No:*	-	Tender Creation Date and Time:*	
NIT No:*	-	Title:*	Tender Notification
Notice Invited for:*	Tender	Stage:*	-
Tender call:*	First	Currency	Indian Rupees
Email:*	-	Division/Basin:*	-
District :*	Bhopal	Vendor Class	-
Tender Category	Services	Tender Sub Category	Hiring of Janshakti Agency
Period of Completion in month	-	Tender Type	-
Form of Contract	General	SOR	-
Name of Work:*	Janshakti Agency	Work No:*	1
Tender Fee Details			
probable Amount of :*Contract (PAC) in:*	0	EMD in:*	Rs.3,00,000.00
Cost of document in:*	1000/-	Processing Fee in:*	-
			-
Important Dates			
Purchase of Tender Start date:*	19-08-2019	Pre bid meeting Date and Time:*	-
Purchase of Tender End Date:*	11-09-2019 Time 1:00 PM	Bid Submission End Date:*	11-09-2019 Time 2:00 PM
Mandatory submission (Envelope A) Open Date:*	Date 11-09-2019 Time 2:00 PM	Technical Proposal (Envelope B) Open Date	Date 11-09-2019 Time 3:00 PM
Financial Bid (Envelope C) Open Date	Date 16-09-2019 Time 1:00 PM	-	-

एम.पी.स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड,भोपाल

<u>जन–शक्ति एजेंसी हेतु निविदा प्रपत्र</u>

1	निविदा प्रपत्र क्रय करने एवं जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान	**निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु दिनांक 11.09.2019 दोपहर 01:00 बजे तक ऑन–लाईन, भोपाल। तथा निविदा प्रपत्र जमा करने हेतु दिनांक 11.09.2019 दोपहर 02:00 बजे तक एवं भौतिक रूप से तकनीकी दस्तावेज भी दिनांक 11.09.2019 एवं समय दोपहर 02:00 बजे तक ''एम.पी.स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल'' कार्यालय में जमा करनी होगी।**
2	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	**12.09.2019 को दोपहर 02:00 बजे तकनीकी परीक्षण उपरान्त भाव दरें दिनांक 16.09.2019 समय 12:00 बजे खोली जाऐंगी।**
3	निविदा प्रपत्र का मूल्य	**रू.1000 / – (एक हजार रूपये मात्र)**
4	निविदा के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि	**निविदा के साथ रू. 3,00,0000 / – तीन लाख रूपये मात्र) ''एम.पी.स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल'' payable एट भोपाल के नाम से देय हो का भुगतान ऑन–लाईन किया जाना सुनिश्चित करें।**
5	निविदा खोलने का स्थान	**बोर्ड मीटिंग हॉल, एम.पी.स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, परिसर, भोपाल,**
6	जन–शक्ति एजेन्सी हेतु सामान्य शर्ते	**प्रपत्र 01**
7	जन–शक्ति एजेन्सी हेतु तकनीकी अर्हताएं	**प्रपत्र 02**
8	भाव पत्र	**प्रपत्र 03**
9	जन–शक्ति एजेंसी चयन हेतु अर्हताओं का मूल्यांकन	**प्रपत्र 04**

कार्यालय, एम.पी.स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल

<u>प्रपत्र –01</u>

(अ) जन–शक्ति एजेंसी हेतु निविदा की सामान्य शर्तें

1.	जन–शक्ति एजेंसी को एमपीसीडीएफ के अन्तर्गत समस्त दुग्ध संघों के लिए संघ की विपणन गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु विपणन शाखा, में निर्धारित योग्यता अनुसार लगभग 60 मैन पावर की प्रदायगी की जाना है। जो कि सेल्स एक्सीक्यूटिव एवं सुपरवाईजरी स्तर के रहेंगे। जन–शक्ति एजेंसी को उपराक्तानुसार मांग अनुसार मैन पॉवर दो वर्ष तक प्रदाय करना होगाा। तद उपरांत कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में एक–एक वर्ष कर कार्यावधि आगामी दो वर्ष हेतु समान दरों एवं समान शर्तों पर बढाई जा सकेगी। जिसके लिए एमपीसीडीएफ के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित मानदेय अनुसार मैन पॉवर उपलब्ध कराना होगा फील्ड में कार्यरत होने वाले अमले को स्थानीय यात्रा भत्ता एवं मोबाईल व्यय दिया जाएगा। इस हेतु एजेंसी को प्रपत्र कमांक–03 अनुसार सुपर विजन एवं सर्विस चार्ज प्रस्तुत करना होगा।
2	**सेवा कर्मियों को भुगतान** : सफल निविदाकार द्वारा दुग्ध संघ में प्रदाय किये गये अपने विपणन कर्मियों को एम.पी. स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, भोपाल द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रत्येक माह में संबंधित विपणन शाखा प्रमुख, संबंधित मिनी डेयरी संयंत्र विपणन प्रभारी एवं संबंधित दुग्ध शीतकेन्द्र में पदस्थ विपणन प्रभारी द्वारा सत्यापित उपस्थिति (हाजिरी) के आधार पर निर्धारित मानदेय एवं अन्य स्वत्वों (एमपीसीडीएफ द्वारा निर्धारित मानदेय एवं संबंधित विपणन शाखा प्रमुख द्वारा सत्यापन के आधार पर टी.ए, माईलेज भत्ता, मोबाईल, वाहन भत्ता आदि) का भुगतान अनिवार्यतः बैंक खाते के माध्यम से करने हेतु बैंक भुगतान पत्रक आगामी माह की सात (07) तारीख के पूर्व दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उक्त बैंक भुगतान पत्रकों के आधार पर दुग्ध संघ स्तर से सफल निविदाकार द्वारा राशि सीधे विपणन कर्मियों के बैंक खाते में जमा करा दी जावेगी तथा जमा की गई राशि व बैंक चार्जेस का समायोजन सफल निविदाकार के देयकों से कर लिया जावेगा। विपणन कर्मियों का ई.पी.एफ., ई.एस.आई, श्रमिक कल्याण निधि इत्यादि का नियमानुसार कटौत्रा करने की संपूर्ण जबाबदारी सफल निविदाकार की होगी। अधिनियमित कटौत्रे समय पर जमा करने की जबाबदारी सफल निविदाकार की होगी। निविदा आवंटन के कार्यादेश दिनांक से एक माह की अवधि में सफल निविदाकार को सभी कर्मियों के बैंक एकाउंट खोलना अनिवार्य होगा तथा कर्मियों के वेतन व अन्य स्वत्वों का भुगतान बैंक एकाउंट के माध्यम से ही करना होगा। मानदेय से संबंधित किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान/कम भुगतान की जबाबदारी सफल निविदाकार की होगी, प्रबंधन इस संबंध में जबाबदार नहीं होगा। विपणन कर्मियों को उचित भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सफल निविदाकार द्वारा समस्त विपणन कर्मियों को वेतन पर्ची (Salary Slip) दी जावेगी, जिसकी एक प्रति संघ कार्यालय में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। निविदाकार द्वारा सभी विपणन कर्मियों के बैंक खाते खुलवाकर संघ को बैंक खातों की सूची की प्रति दी जावेगी। विपणन अमले को नियमानुसार देय राशि में से कोई राशि देने में निविदाकार विफल हो जाता है या नियमानुसार जमा योग्य अन्य राशि जमा नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में भुगतान

	राशि निविदाकार की सुरक्षा निधि (Security Deposit) राशि से या देय योग्य राशि में से संघ निविदाकार के नाम से जमा करा देगा और शेष बची राशि वापस करेगा या ज्यादा राशि होगी तो निविदाकार से भूराजस्व की बकाया राशि की भॉति वसूल की जावेगी। यदि किसी माह में सफल निविदाकार द्वारा विपणन कर्मियों को वेतन भुगतान करने हेतु बैंक भुगतान पत्रक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो सफल निविदाकार को उक्त माह के सर्विस चार्ज का भुगतान नहीं किया जावेगा।
3	**सेवा प्रदाता को भुगतान प्रकिया :** सफल निविदाकार द्वारा प्रत्येक माह की 07 तारीख तक गत माह में लगाये गये विपणन कर्मी को एमपीसीडीएफ द्वारा निर्धारित मानदेय आधार पर शाखावार/मिनी डेयरी संयंत्रवार/दुग्ध शीतकेन्द्रवार सत्यापित बिल सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रकों सहित एकजाई रुप से प्रबंधन को प्रस्तुत करना होगा। देयकों के साथ मुख पत्र (कवरिंग लेटर) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें देयक क्रमांक/दिनांक, शाखा/मिनी डेयरी संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र का नाम एवं राशि का उल्लेख होना आवश्यक है। सफल निविदाकार द्वारा पूर्ण एवं सही बिल, जिसका जिक्र इन कंडिकाओं में किया गया है, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, तो परीक्षण उपरांत उसका भुगतान प्रत्येक माह की 25 तारीख तक प्रबंधन की शर्तों के अंतर्गत किया जावेगा। देयक के साथ प्रबंधन द्वारा दिये गये प्रारूप में सफल निविदाकार को उसके द्वारा नियोजित विपणन कर्मियों के वेतन पत्रक के साथ सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रक एवं भुगतान पत्रक संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक विपणन कर्मी की वेतन दर, वेतन एवं उसमें से किये गये कटौत्रे एवं भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा एवं अन्य कटौत्रे दर्शाते हुए शुद्ध वेतन भुगतान का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। जानबूझकर गलत देयक प्रस्तुत करने पर राशि का 100 प्रतिशत आर्थिक दण्ड़ आरोपित किया जायेगा। अपूर्ण देयकों को यथास्थिति में वापस किया जायेगा, जिसके विलंब से भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी। सफल निविदाकार को प्रतिमाह कार्य पर रखे विपणन कर्मियों की संख्या मय् नाम, उपनाम, पिता का नाम, ई.पी.एफ नं, यू.ए.एन नं, ई. एस.आई नं एवं उनके कार्य दिवस की संख्या का प्रतिवेदन तैयार कर कार्मिक एवं प्रशासन शाखा को मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक होगा, अन्यथा आर्थिक दण्ड़ लगाया जायेगा। सफल निविदाकार द्वारा यदि वैधानिक औपचारिकताओं का परिपालन नहीं किया जाता है, तो दुग्ध संघ द्वारा सफल निविदाकार की सर्विस चार्ज राशि का भुगतान आगामी निराकरण होने तक रोका जा सकेगा और इसके फलस्वरूप यदि किसी भी प्रकार का विपणन कर्मियों को भुगतान संबंधी अवरोध आदि पैदा होता है (यदि उपरोक्त के अभाव में देयक भुगतान में विलंब होता है) तो उसकी पूर्ण जबावदारी सफल निविदाकार की होगी एवं प्रबंधन पक्ष किसी भी प्रकार से जवाबदार नहीं रहेगा। निविदाकार के देयक से आयकर का नियमानुसार टीडीएस कटौत्रा कर आयकर विभाग में जमा किया जावेगा एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति उपरांत निविदाकार द्वारा संघ से किये गये कटौत्रे का विवरण प्राप्त किया जा सकेगा।
4	**<u>लक्ष्य पूर्ति :</u>** सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से विपणन गतिविधियों हेतु नियोजित विपणन

	कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ/पशु आहार विक्रय का लक्ष्य दिया जाएगा। जिन्हें प्रत्येक माह में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति न होने पर संबंधित विपणन कर्मचारी को मासिक समीक्षा उपरांत तीन माह तक का समय कार्य में सुधार हेतु दिया जाएगा तत्पश्चात भी कार्य में सुधार ना होने पर एवं वांछित लक्ष्य प्राप्त ना करने पर प्रबंधन के निर्देशानुसार एजेंसी को उक्त नियोजित विपणन कर्मी को तत्काल प्रभाव से कार्य से पृथक किया जाना होगा एवं अन्य निर्धारित योग्यता अनुसार विपणन कर्मी उपलब्ध कराना होगा।
5	**धरोहर राशि**
	धरोहर राशि (Earnest Money) रूपये 3,00,000/— (रू. तीन लाख मात्र) निविदाकार को निविदा के साथ ऑनलाईन पेमेंट के माध्यम से जो कि ''एम.पी. स्टेट को—ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल'' के पक्ष में देय हो, जमा करना अनिवार्य है। धरोहर राशि केवल ऑनलाईन पेमेंट के माध्यम से जमा की जानी है अन्य किसी स्वरूप में नहीं। National Small Scale Industries Corporation से पंजीकृत फर्मों सहित अन्य किसी भी प्रकार के शासकीय संस्थाओं से अनुशंसित किसी भी निविदाकार को धरोहर राशि जमा करने के संबंध में छूट नहीं दी जावेगी। बिना धरोहर राशि के प्रस्तुत निविदाओं को अमान्य किया जावेगा। धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। निविदा अस्वीकृत होने पर असफल निविदाकारों की धरोहर राशि एक माह की समयसीमा में वापस की जावेगी। निविदा स्वीकृत होने पर प्रबंधन द्वारा कार्यादेश दिये जाने पर यदि निर्धारित तिथि से कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो धरोहर राशि (Earnest Money) जप्त कर दूसरे न्यूनतम निविदाकर्ता को कार्य का ठेका दिया जावेगा। निविदा स्वीकृत होने एवं कार्य शुरू होने पर धरोहर राशि (Earnest Money) को सुरक्षा निधि (Security Deposit) में समायोजित किया जावेगा।
6	निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार को सुरक्षा निधि **(Security Deposit) रूपये 15,00,000 लाख** ***(रु पन्द्रह लाख मात्र)*** अनुबंध के समय बैंक ग्यारंटी के रूप में जमा करानी होगी। सफल निविदाकार की धरोहर राशि रू **3,00,000** सुरक्षा निधि में समाहित की जाएगी यानी रू 12,00,000/— बैंक ग्यारंटी निविदा की कार्यावधि तक की जमा करनी होगी।
7	निविदा स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक एम.पी.स्टेट को—ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल को होगा ।
8	निविदा स्वीकृत होने पर सफलतम् जन—शक्ति एजेंसी को एम.पी.स्टेट को—ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल प्रदेश के सभी दुग्ध संघों में विपणन शाखा में कार्य करने हेतु मांग अनुसार एवं योग्यता अनुसार तथा निर्धारित मानदेय अनुसार मैन पॉवर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा।
9	निविदा स्वीकृत होने पर तत्काल निविदाकार द्वारा स्वयं के खर्चे से अनुबंध पत्र हेतु रूपये 1,000/— (रू हजार मात्र) का गैर न्यायालयीन स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा एवं कार्य प्रारंभ से पूर्व सभी दुग्ध संघों से निष्पादित अनुबंध पत्रों पर हस्ताक्षर करने होंगे। निर्धारित अवधि तक अनुबंध निष्पादन नहीं होने पर कार्यादेश स्वतः निरस्त हो जावेगा।
10	सफल निविदाकार को सौंपा हुआ कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर Contract निरस्त

	करने एवं सुरक्षा निधि [*Security Deposit*] राजसात करने का पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक एम.पी.स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल को होगा।
11	निविदाकार को **कर्मचारी भविष्य निधि** एवं **कर्मचारी राज्य बीमा निगम** दोनों में रजिस्ट्रेशन होना/पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण की सत्यापित प्रतिलिपियॉ निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी । निविदाकर्ता पर कारखाना अधिनियम एवं श्रम विभाग में प्रकरण/विवाद आदि लंबित/विचाराधीन नहीं होने का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करना होगा । सफल निविदाकार द्वारा प्रेषित शपथ पत्र बाद में असत्य पाये जाने पर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।
12	ई.पी.एफ/ कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान जन–शक्ति एजेंसी को जमा कराना होगा तथा जानकारी दुग्ध संघ कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
13	जन–शक्ति एजेंसी के पास जी.एस.टी नम्बर होना अनिवार्य है एवं मैन पॉवर प्रदायगी का अनुभव होना आवश्यक है।
14	एजेंसी को कार्य पर रखे गये समस्त विपणन अमले को कार्य प्रारंभ करने के दस दिवस में अनिवार्य रूप से परिचय पत्र उपलब्ध कराने होंगे। परिचय पत्र के डिज़ाईन का अनुमोदन संबंधित दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। साथ ही फैक्ट्री एक्ट के अनुसार समस्त दस्तावेजी औपचारिकताएं पूर्ण कर व्यवस्थित रिकार्ड रखना होगा एवं समय–समय पर शासन के अधिकृत निरीक्षकों/अधिकारियों से सत्यापन कराना होगा तथा संबंधित संघ द्वारा मांग करने पर भी उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15	जन–शक्ति एजेंसी को वर्तमान एवं भविष्य में शासन की समस्त लीगल आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
16	प्रबंधन के निर्देशानुसार एजेंसी को उसके द्वारा नियोजित विपणन अमले की सामयिक चिकित्सा जॉच करवानी होगी (वर्ष में एक बार चिकित्सा जॉच कराना अनिवार्य होगा)। एजेंसी द्वारा नियोजित अमले को छूत की बीमारी या अन्य कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। कार्य के दौरान यदि कोई नियोजित विपणन कर्मचारी आहत होता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा व अन्य नियमानुसार सुविधायें एजेंसी को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करवानी होंगी। ऐसा न करने की स्थिति में यदि प्रबंधन द्वारा यह सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उसकी राशि जन–शक्ति एजेंसी से वसूली जावेगी तथा आर्थिक दण्ड़ भी लगाया जा सकेगा। जन–शक्ति एजेंसी को वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट के अंतर्गत दुर्घटना समूह बीमा प्रीमियम का भुगतान (*अधिकतम बीमा राशि रु. 5,00,000/– (पाँच लाख) प्रति कर्मचारी*) करना होगा तथा संघ में सत्यापित बीमा पॉलिसी जमा करनी होगी। जो कि दुग्ध संघ द्वारा देय हो।
17	निविदाकार को निविदा के साथ आयकर का PAN कार्ड की छायाप्रति तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 (*कर निर्धारण वर्ष 2016–17*), वित्तीय वर्ष 2016–17 (*कर निर्धारण वर्ष 2017–18*) एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 (*कर निर्धारण वर्ष 2018–19*) हेतु जमा किये गये रिर्टन की स्वसत्यापित छायाप्रतियां संलग्न करना होगी।
18	जन–शक्ति एजेंसी द्वारा उपरोक्त उल्लेखित शर्तो व कार्य के विवरण में दी गई सूचनाओं का पालन करना अनिवार्य है। जन–शक्ति एजेंसी द्वारा आदतन रूप से यदि उपरोक्त कोई भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो दिया गया ठेका निरस्त कर सुरक्षानिधि जब्त की जा सकेगी व आर्थिक दण्ड के साथ साथ

	उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर जन–शक्ति एजेंसी को संबंधित दुग्ध संघ की अनुशंसा पर काली सूची में डाला जाकर भविष्य में होने वाली किसी भी निविदा या अन्य कार्यवाही मे भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।
19	यदि ठेके की शर्तो के अंतर्गत किसी भी प्रकार का विवाद होता है, तो विवाद को ''आर्बिट्रेशन'' हेतु प्राधिकृत अधिकारी/अध्यक्ष, एम.पी.सी.डी.एफ, भोपाल को सौंपा जावेगा । आर्बिट्रेटर का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
20	यदि एक से अधिक निविदाकारों द्वारा एक समान अंक प्राप्त किए जाते है तो ठेका आवंटन हेतु 2017–18 का टर्नओवर तथा सबसे ज़्यादा मानव संसाधन के भर्ती के अनुसार वाली कंपनी को कार्य दिया जाएगा।
21	किसी भी वाद–विवाद की सुनवाई भोपाल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही होगी ।
22	शासन के नियमानुसार जीएसटी पृथक से एमपीसीडीएफ से संबंधित दुग्ध संघों द्वारा एजेंसी को देय होगा।
23	**शर्तो में संशोधन :** भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर अनुबंध की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है अथवा नवीन शर्तों को जोडा जा सकता। यदि परिस्थितियों/नियमों/अधिनियमों में संशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय शर्तों में परिवर्तन/संशोधन/समावेश किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति पर अनुबंध में संशोधन किया जा सकेगा। असहमति की दशा में दो माह की पूर्व सूचना देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।
24	एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघों के संयंत्र में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी, संचालक मण्डल के सदस्यों/उनके परिजनों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के पदाधिकारियों /उनके परिजनों को निविदा प्रदान नहीं की जायेगी।
25	सफल निविदाकार (जन–शक्ति एजेंसी) अथवा प्रबंधन को निविदा की अवधि के मध्य दो माह का नोटिस देकर निविदा समाप्त करने का अधिकार होगा।
26	सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से कार्य पर लिये गये समस्त सेल्स अमला पूर्ण रूप से जन–शक्ति एजेंसी के ही कर्मचारी रहेंगे तथा एमपीसीडीएफ एवं संबंधित दुग्ध संघों में इस आधार पर नियोजन/नियमतीकरण हेतु किसी भी प्रकार का दावा प्रस्तुत नही कर सकेंगे।
27	**जन–शक्ति एजेंसी को चयनित होने पर एमपीसीडीएफ एवं संबंधित दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उपरोक्त शर्तों का त्रिपक्षीय अनुबंध प्रत्येक दुग्ध संघ के साथ निष्पादित करना होगा।**
28	जन–शक्ति एजेंसी द्वारा लगाये गये विपणन अमले को ड्यूटी के दौरान अनुशासित रहेंगे एवं उन्हें प्रबंधन की सेवा शर्तों का पालन करना पड़ेगा । विपणन अमले द्वारा किसी भी प्रकार के ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना प्रतिबंधित रहेगा। वे संघ के विरूद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग नहीं लेगें। यदि कोई विपणन अमला यूनियन से सदस्यता लेता है या संघ के विरूद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग लेता है या संयत्र को बंद कराता है या किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य/ अनुशासनहीनता में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त करना एजेंसी की अनिवार्य जिम्मेदारी होगी। दोषी पाये गये नियोजित विपणन कर्मचारी को पुनः कार्य पर नहीं रखा जावेगा। इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रति व्यक्ति रूप्ये 1,000/– तक अर्थदण्ड भी लगाया

	जा सकेगा, जिसकी वसूली एजेंसी के देयकों में से की जा सकेगी। यदि एजेंसी द्वारा संबंधित विपणन कर्मचारी को सेवा से पृथक नहीं किया जाता है व अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर एजेंसी को ब्लेक लिस्टेड कर ठेका समाप्त कर दिया जायेगा तथा जमा सुरक्षा निधि/धरोहर राशि को भी जप्त किया जा सकेगा।
29	संयंत्र/कार्यालय परिसर में मदिरापान, धूम्रपान या अन्य कोई भी नशा करना या जुआ खेलना पूर्णतः वर्जित है । जन–शक्ति एजेंसी के माध्यम से नियोजित विपणन अमले द्वारा मदिरापान, धूम्रपान, गुटखा, पान, तम्बाकू इत्यादि का उपयोग करते हुये पाये जाने पर प्रति व्यक्ति के ऊपर रू.500/– का अर्थदण्ड़ अधिरोपित किया जायेगा। नियोजित विपणन अमले द्वारा लगातार यह कृत्य किये जाने पर उसे भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जायेगा।
30	जन–शक्ति एजेंसी के नियोजित विपणन अमले की गलती से या असावधानी से दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या संबंधित संघ की संपत्ति को क्षति होती है या वे किसी प्रकार की चोरी, जानबूझ कर नुकसान करने आदि में संलग्न पाये जाते हैं, तो क्षति की राशि का दो गुना एवं चोरी की स्थिति में अपराधिक प्रकरण मानकर एफ.आई.आर दर्ज कराई जाएगी और सामग्री की राशि के 50 गुना अर्थदण्ड प्रबंधन पक्ष द्वारा जन–शक्ति एजेंसी पर लगाया जावेगा। जिसकी वसूली उनके देयक से की जावेगी तथा इसके संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ का निर्णय अंतिम होगा। गंभीर अनियमितताओं में लिप्त नियोजित अमले को भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जा सकेगा ।
31	जन–शक्ति एजेंसी को अच्छे आचरण एवं चरित्र के विपणन कर्मचारी देना होंगें। उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो तथा उनके विरूद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज न हो। यदि कोई नियोजित विपणन कर्मचारी डेरी संयंत्र/कार्यालय परिसर में अभद्र व्यवहार या लडाई झगडा करता हुआ पाया जाता है अथवा संघ के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो एजेंसी को ऐसे कर्मचारी को तत्काल हटाना होंगें। जन–शक्ति एजेंसी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपराधिक प्रवृत्ति/सजायाफ्ता/असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर न रहें। अगर ऐसा पाया गया तो समस्त वैधानिक जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। किसी भी नियोजित विपणन कर्मचारी द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर प्रति व्यक्ति राशि रूपये 1,000/– तक अर्थदण्ड एजेंसी पर अधिरोपित किया जा सकेगा।

उपरोक्त वर्णित निविदा की सभी शर्ते मैंने पढ़ी और समझी हैं। उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए भाव दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :– दिनांक :–	नाम :– .... पत्राचार हेतु पता :– .... दूरभाष/मो.नं. :– ....

कार्यालय, एम.पी.स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल

प्रपत्र–02

प्रति,

प्रबंधक संचालक,
एम.पी.स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड,
भोपाल ।

महोदय,

एम.पी.स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल में जन–शक्ति एजेंसी (सर्विस प्रोवाईडर) के माध्यम से एमपीसीडीएफ एवं समस्त दुग्ध संघों में विभिन्न शाखाओं हेतु निर्धारित योग्यता एवं मानदेय अनुसार मैन पॉवर उपलब्ध कराने हेतु दिनांक .... को समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं । यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार श्रमिक प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ । अतः मैं एतद् द्वारा धरोहर राशि **(Earnest Money)** रू. 3,00,000/– (रूपये तीन लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक ....दिनांक .... जो कि, ...बैंक, शाखा का नाम .... का है एवं **एम.पी.स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल** के नाम देय है, को ऑन–लाईन जमा कर रहा हूँ एवं पावती तथा निम्न तकनीकी अर्हतायें के लिये प्रमाण के तौर पर वांछित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ।

अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें

क्र.	आवश्यक अर्हता	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज	संलग्न है या नहीं अंकित करें / विवरण देवें
1	जन–शक्ति एजेंसी का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)	पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र / प्रमाणपत्र।	है/नहीं
2	यदि कोई पार्टनर हों तो उनका नाम व पता	पंजीकृत पार्टनरशिप डीड।	है/नहीं
3	श्रमिक ठेके संबंधी जीवित लायसेंस क्रमांक।	श्रम विभाग का पत्र/ प्रमाण पत्र।	है/नहीं
4	भविष्य निधि कोड नं. ।	क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र।	है/नहीं
5	कर्मचारी राज्य बीमा कोड नं. ।	क्षेत्रीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र ।	है/नहीं
6	जी.एस.टी. पंजीयन कोड।	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र।	है/नहीं

7	वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 तथा 2017–18 का आयकर का रिर्टन जमा करने का प्रमाण।	PAN कार्ड की छायाप्रति एवं आयकर विभाग में रिर्टन जमा करने की पावती एवं प्रमाण।	है/नहीं
8	पूर्व में भविष्य निधि अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।	वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 तथा 2017–18 में जमा कराये गये ई.पी.एफ की राशि के चालानों की छायाप्रति।	है/नहीं
9	पूर्व में कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।	वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 तथा 2017–18 में जमा कराये गये ई.एस.आई की राशि के चालानों की छायाप्रति।	है/नहीं
10	जन–शक्ति संस्था का अनुभव, मध्यप्रदेश में न्यूनतम 03 वर्ष	संबंधित संस्था का कार्यादेश एवं अनुबंध	है/नहीं
11	जन–शक्ति एजेंसी द्वारा कार्यरत संस्थाओं में संख्या, मध्यप्रदेश में	संबंधित संस्था का कार्यादेश एवं अनुबंध	है/नहीं
12	कंपनी का विगत तीन वषों का टर्नओवर, न्यूनतम 5 करोड़ प्रतिवर्ष (2015–16 2016–17 2017–18)	निविदाकार की अंकेक्षित बैलेंसशीट	है/नहीं
13	जन–शक्ति के अंतर्गत सेवायुक्तों की संख्या न्यूनतम 100 सेवा कर्मी प्रदाय, केन्द्र या राज्य शासन के संस्थानों को मध्यप्रदेश में	ई.पी.एफ. जमा करने का चालान	है/नहीं
14	कंपनी के नेटवर्थ (Networth) न्यूनतम 10 करोड़ वर्ष 2017–18 हेतु	निविदाकार की अंकेक्षित बैलेंसशीट	है/नहीं
15	जन–शक्ति की एजेंसी का गुणवत्ता प्रमाणन (सर्टिफिकेट) ISO 9001:2015 (अनिवार्य) ISO 1400:2015 OHSAS18001:2007 ISO /IEC 27001:2013	सभी सर्टिफिकेट की कापी.	है/नहीं
16	जन–शक्ति एजेंसी दुग्ध संघ/मध्यप्रदेश शासन/मध्यप्रदेश शासन के किसी भी निकाय की काली सूची में दर्ज है या नही।	आदेश की प्रति या नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ–पत्र रू 100/– नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें।	है/नहीं
17	कारखाना एवं श्रम विभाग/न्यायालय में प्रकरण/वाद आदि विचाधीन/लंबित ना होने का शपथ–पत्र	यदि विभाग नही है तो नोटरी से	है/नहीं

		सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ–पत्र रू 100/– नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें।	
18	क्या आपकी संस्था का एपीसीडीएफ/ भोपाल/इन्दौर/उज्जैन/जबलपुर/ग्वालियर/बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संघों में ई.पी.एफ., ई.एस.आई. एवं सर्विस टेक्स/जीएसटी का कोई विवाद तो पंजीकृत/विचाराधीन नही है।	यदि विवाद नही है तो नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ–पत्र रू 100/– नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें।	है/नहीं

मैंने निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा की शर्त तथा अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु दिये गये दिशा निर्देश, पूर्णतः पढ़ लिये एवं समझ लिये हैं और उस में दिये गये निर्देश के अनुसार ही निविदा प्रक्रिया में भाग ले रहा हूं।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :– नाम :–

दिनांक :– पत्राचार हेतु पता :– ....

....

दूरभाष/मो.नं. :– ....

(प्रपत्र क्रमांक 02 – तकनीकी अर्हता क्रमांक 17 के संबंध में राशि रू 100/– के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप)

<u>शपथ–पत्र</u>

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम)............................(पता).....................(पंजीयन क्रमांक)............................ शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूॅ कि :–

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म .... है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूॅ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म के विरूद्ध कारखाना एवं श्रम विभाग/न्यायालय में कोई प्रकरण/वाद आदि न तो विचाराधीन है और न ही लंबित है।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थान : ....
दिनांक : ....

हस्ताक्षर शपथकर्ता

<u>सत्यापन</u>

मैं (नाम)...................(आयु)................(पता)................शपथकर्ता सत्यापित करता हूॅ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 लगायत 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया हैं और न ही कुछ छुपाया गया है। यदि जांच में कुछ भी गलत या छुपाया पाया जाये तो मेरी निविदा निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जाये।

स्थान : ....
दिनांक : ....

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

(प्रपत्र क्रमांक 02 – तकनीकी अर्हता क्रमांक 18 के संबंध में राशि रू 100/– के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप)

<u>शपथ पत्र</u>

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम)..........................(पता).....................(पंजीयन क्रमांक)...................... शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूॅ कि :–

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म .... है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूॅ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म .... के विरूद्ध एम.पी.सी.डी.एफ/इन्दौर/उज्जैन/जबलपुर/ग्वालियर/बुंदेलखण्ड सहकारी दुग्ध संघों में ई.पी.एफ., ई.एस.आई. एवं सर्विस टैक्स/जी.एस.टी का कोई विवाद पंजीकृत/विचाराधीन नहीं है।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर शपथकर्ता

<u>सत्यापन</u>

मैं (नाम)...................(आयु)...............(पता)................शपथकर्ता सत्यापित करता हूॅ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 लगायत 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया हैं और न ही कुछ छुपाया गया है। यदि जांच में कुछ भी गलत या छुपाया पाया जाये तो मेरी निविदा निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जाये।

स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

(प्रपत्र क्रमांक 02 – तकनीकी अर्हता क्रमांक 16 के संबंध में राशि रू 100/– के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप)

<u>शपथ पत्र</u>

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम)...........................(पता).....................(पंजीयन क्रमांक)............................ शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूॅ कि :–

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म .... है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूॅ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म ....को किसी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी. एफ/दुग्ध संघ द्वारा काली सूची में नामांकित नहीं किया गया है।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर शपथकर्ता

<u>सत्यापन</u>

मैं (नाम)...................(आयु)...............(पता)................शपथकर्ता सत्यापित करता हूॅ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 लगायत 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया हैं और न ही कुछ छुपाया गया है। यदि जांच में कुछ भी गलत या छुपाया पाया जाये तो मेरी निविदा निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जाये।

स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

कार्यालय, एम.पी.स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल

प्रपत्र–04

जन–शक्ति एजेंसी चयन हेतु अर्हताओं का मूल्यांकन निम्न आधार पर किया जाएगा :–

क्रमांक	Quality मापदंड विवरण	मापदंड	अधिकतम अंक (100)	जरूरी दस्तावेज
1.	जन–शक्ति संस्था का अनुभव, मध्यप्रदेश में	02 अंक प्रतिवर्ष न्यूनतम 06 अंक	20	संबंधित संस्था का कार्यादेश एवं अनुबंध
2.	जन–शक्ति एजेंसी द्वारा कार्यरत संस्थाओं में संख्या, मध्यप्रदेश में	02 अंक प्रति कंपनी न्यूनतम 02 अंक	20	संबंधित संस्था का कार्यादेश एवं अनुबंध
3.	कंपनी का विगत तीन वर्षों का टर्नओवर, न्यूनतम 5 करोड़ प्रतिवर्ष (2015–16 2016–17 2017–18)	01 अंक प्रति करोड़ न्यूनतम 10 अंक	20	निविदाकार की अंकेक्षित बैलेंसशीट
4.	जन–शक्ति के अंतर्गत सेवायुक्तों की संख्या न्यूनतम 100 सेवा कर्मी प्रदाय, केन्द्र या राज्य शासन के संस्थानों को मध्यप्रदेश में	05 अंक प्रत्येक 50 सेवायुक्तों पर न्यूनतम 10 अंक	20	ई.पी.एफ. जमा करने का चालान
5.	कंपनी के नेटवर्थ (Networth) न्यूनतम 10 करोड़ वर्ष 2017–18 हेतु	01 अंक प्रति करोड़ न्यूनतम 10	10	निविदाकार की अंकेक्षित बैलेंसशीट
6.	जन–शक्ति की एजेंसी का गुणवत्ता प्रमाणन (सर्टिफिकेट) ISO 9001:2015 (अनिवार्य) ISO 1400:2015 OHSAS18001:2007 ISO /IEC 27001:2013	न्यूनतम 05 अंक 02 अंक प्रति सर्टिफिकेट	10	सभी सर्टिफिकेट की कापी.
		कुल	**100**	

Note:-

1. निविदाकार को क्रमांक 01 से 05 में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। अन्यथा की स्थिति में तकनीकी रूप से अयोग्य माना जायेगा तथा वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।
2. निविदाकार को तकनीकी रूप से योग्य रहने के लिये न्यूनतम 60 अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य रहेगा। अन्यथा की स्थिति में तकनीकी रूप से अयोग्य माना जायेगा तथा वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।
3. 60 से अधिक अंक अर्जित करने वाले न्यूनतम 03 निविदाकोरों की स्थिति में ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
4. यदि वित्तीय निविदा में दो या दो से अधिक निविदाकारों के सेवाशुल्क समान प्राप्त होते हैं उस स्थिति में विगत तीन वर्षों 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 के कुल टर्नओवर में से अधिकतम टर्नओवर वाली निविदाकार कंपनी को सफल निविदाकार माना जाएगा।

(ब) तकनीकी निविदा के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु निविदाकारों के लिये दिशा निर्देश –

तकनीकी बिड अंतर्गत दुग्ध संघ द्वारा निविदाकार से अनिवार्यतः वांछित प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची संलग्न प्रपत्र क्रमांक 02 में दिये गये अनुसार है। निविदाकार द्वारा वांछित दस्तावेजों में से किन किन दस्तावेजों को संलग्न किया गया है अथवा विवरण प्रेषित किया गया है, का उल्लेख करते हुये प्रपत्र क्रमांक 2 में प्रबंध संचालक, एम.पी. स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि., भोपाल को संबोधित पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।

1. तकनीकी अर्हता क्रमांक 16, 17 एवं 18 हेतु पृथक–पृथक शपथ पत्र संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

2. निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत तकनीकी अर्हतायें से संबंधित समस्त दस्तावेजों का सत्यापन मूल दस्तावेजों से किया जा सकता है।

3. ऑनलाईन जमा की गई EMD राशि की पावती, ''निविदा की समान्य शर्तें'' पर सहमति दर्शाते हुये सील सहित हस्ताक्षर युक्त **प्रपत्र (अ)** ''निविदा की सामान्य शर्ते'' की प्रति, **प्रपत्र (ब)** ''तकनीकी अर्हतायें'' में विवरण अंकित करते हुये उसकी सत्यापित प्रति तथा तकनीकी अर्हताओं के 18 बिन्दुओं से संबंधित संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियां एक लिफाफे में डालकर निविदा का संदर्भ अंकित करते हुये **''सेवाकर्मी ठेका ई–निविदा वर्ष 2019–2021''** लिखा जावे एवं निविदाकार का नाम एवं पूर्ण पता भी लिखा जावे। इस लिफाफे को सील बंद लिफाफे में डालकर **एम.पी. स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि., भोपाल** में **दिनांक 11.09.2019 को दोपहर 02:00 बजे तक** अनिवार्यतः जमा करना होगा। निर्धारित समय के पश्चात् प्रेषित उक्त दस्तावेजों को प्राप्त नहीं किया जावेगा तथा संबंधित निविदाकार की निविदा को अमान्य किया जावेगा।

4. निविदाकार को धरोहर राशि, प्रपत्र क्रमांक 01 एवं 02 में संपूर्ण विवरण अंकित करते हुये उनकी स्केन कॉपी एवं भाव पत्र (प्रपत्र क्रमांक 03) को ही ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। **किन्तु प्रपत्र (अ) एवं (ब) में वर्णित तकनीकी अर्हताओं से संबंधित सभी दस्तावेजों को उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 03 में वर्णित अनुसार ऑनलाईन एवं ऑफलाईन (भौतिक रूप से) भी जमा कराना होगा।**

5. निविदा प्रपत्रों में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी इसलिए अपनी शर्तों का उल्लेख निविदा प्रपत्रों में नहीं करें।

6. निविदाकार को प्रपत्र–04 में तकनीकी योग्यता हेतु मापदण्ड क्रमांक 01 से 06 में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। अन्यथा की स्थिती में तकनीकी रूप से अयोग्य माना जायेगा तथा वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।

7. निविदाकार को तकनीकी रूप से योग्य रहने के लिये न्यूनतम 60 अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य रहेगा। अन्यथा की स्थिती में तकनीकी रूप से अयोग्य माना जायेगा तथा वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।

8. 60 से अधिक अंक अर्जित करने वाले न्यूनतम 03 निविदाकारो की स्थिती में ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

9. कार्यानुभव की पुष्टि करने हेतु कार्यादेश एवं अनुभव प्रमाण पत्र के साथ–साथ ई.पी.एफ चालानों पर अंकित श्रमिकों की संख्या को भी आधार माना जायेगा।

10. निविदाकार को प्रपत्र क्रमांक 02 में दर्शाये गये तकनीकी अर्हताओं से संबंधित दस्तावेजों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना होगा।

11. निविदा प्रपत्रों में दी गई जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवंटित ठेका निरस्त कर धरोहर राशि **(Earnest Money)** राजसात की जावेगी।

प्रबंध संचालक
एम.पी. स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन

उपरोक्त निविदा की शर्त क्रमांक 1 से 47 तक सभी शर्ते मैंने पढ़ी और समझी हैं। उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए भाव दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :–   नाम :–

दिनांक :–   पत्राचार हेतु पता :– ....
....

दूरभाष / मो.नं. :– ....

कार्यालय, एम.पी.स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल

<u>प्रपत्र–03</u>

"भाव पत्र / दर"

(अ) निम्न मदों में संघ द्वारा नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी :–

क्र	विवरण
1	एमपीसीडीएफ द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति अनुसार जो मानदेय तय किया जाएगा वह मान्य होगा एवं तद अनुसार नियोजित अमले का भुगतान किया जाएगा।
2	वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट के अंतर्गत दुर्घटना समूह बीमा प्रीमियम का भुगतान (अधिकतम बीमा राशि रू. 5,00,000 / – (पाँच लाख) प्रति कर्मचारी अथवा ई.एस.आई. का अंशदान।
3	जी.एस.टी – जन–शक्ति एजेंसी द्वारा चालान जमा कर प्रस्तुत करने पर।
4	बोनस अधिनियम अनुसार न्यूनतम बोनस

नोटः–

1	जन–शक्ति एजेंसी को प्रति व्यक्ति प्रति माह के आधार पर भुगतान किया जावेगा ।
2.	'अ''मद में प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान प्रमाणक की मूल प्रति नियोजित अमले की सूची सहित प्रस्तुत करनी होगी ।

(ब) निम्न मदों में संघ स्तर से नियमानुसार अंशदान राशि कटौत्रा की जावेगी :–

क्र	विवरण
1	कर्मचारी भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान जन–शक्ति एजेंसी को जमा कर देयक के साथ चालान एवं विवरण प्रस्तुत करना होगा।
2	कर्मचारी राज्य बीमा योजना नियोक्ता अंशदान जन–शक्ति एजेंसी को जमा कर देयक के साथ चालान एवं विवरण प्रस्तुत करना होगा।

(स) निम्न मद हेतु निविदाकार अपनी न्यूनतम सुपर विजन एवं सर्विस चार्ज दर प्रस्तुत करें जिसका भुगतान संबंधित संघ द्वारा किया जावेगा :– (*केवल ऑनलाइन के माध्यम से अपनी दर प्रस्तुत करें*) ।

क्र	विवरण	अमले को मासिक देयक राशि पर प्रतिशत
1	सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज	प्रदायित अमले को देय कुल मानदेय की राशि पर लिया जाने वाला सुपर विजन+ सर्विस चार्ज का **प्रतिशत 5 % (पाँच प्रतिशत) से कम मान्य नही होगा।**
(द) सुपर विजन एवं सर्विस चार्ज प्रतिशत में		**(केवल ऑन–लाईन दर भरना सुनिश्चित करें)** **निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील**
स्थान :– दिनांक :–		नाम :– पत्राचार हेतु पता :– .... दूरभाष / मो.नं. :– ....

नोटः– उपरोक्त दरें केवल ऑन–लाईन ही प्रस्तुत की जाना है।